

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/ 5001

जयपुर, दिनांक: 27/10/14

प्रेषक:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषित:

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अंतर्गत कलक्टर के आदेशों के अधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर मतदान केन्द्र व बूथों का चयन कर सकता है। किन्तु मतदान दलों के गठन के समय ही रिटर्निंग आफिसर एवं मतदान दल के अन्य सदस्यों को नियुक्ति आदेशों में ही मतदान केन्द्र व बूथों का विवरण दिया जाना चाहिए।

स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, मतदान केन्द्रों का चयन पूर्व में ही कर लिया जावे। आयोग मतदान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए यह निर्देश जारी करता है कि :-

1. मतदान केन्द्र व बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही बनाये जावें ताकि रिटर्निंग आफिसर/मतदान अधिकारी मतदान का प्रभावी रूप से अधीक्षण कर सकें व मतपेटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जरूरत न पड़े।
2. एक से अधिक बूथ बनाने पर वार्डों की कम्पैक्टनेस खण्डित न हो। यानि वार्ड सं. 1 से 3 प्रथम बूथ में, 4 से 6 द्वितीय बूथ में और इसी प्रकार अन्य वार्ड बूथों में रखे जावें।
3. प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है अतः, पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग-अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा।
4. मतदान बूथों की कम संख्या पंचायत समिति वार दी जावे।
5. पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु एक वार्ड एक ही जगह रहेगा। एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने पर यहाँ स्थिति दर्शाने के लिए भवन का दाहिना भाग/बायां भाग/कमरा नंबर, इत्यादि अंकित किया जावें। यथासंभव समस्त बूथ एक भवन में स्थापित किये जावें, परन्तु यदि यह संभव न हो तो विभिन्न भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं परन्तु ऐसा भवन उसी ग्राम में स्थित हो एवं यथासंभव सभी भवन पास-पास हों।
6. सामान्यतः सभी पंचायत मुख्यालयों पर पक्के सरकारी व अर्द्ध सरकारी भवन हैं, उनमें ही मतदान बूथ स्थापित किये जावें।
7. मतदान बूथ को आवंटित क्षेत्र सुनिर्धारित होना चाहिए।
8. जहाँ कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होती हैं, तो ऐसे मामलों में भले ही मतदाताओं की संख्या कितनी ही कम हो पृथक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक मतदान बूथ स्थापित किया जावें।
9. अस्पताल, पुलिस थाना व मंदिर-मस्जिद-चर्च आदि धार्मिक महत्व के भवनों में मतदान बूथ स्थापित नहीं किये जावें।
10. सामान्यतः एक मतदान केन्द्र पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।
11. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि, वहाँ मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हो। जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना

- चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक दरवाजे हों। यदि कमरों में एक ही दरवाजा हो तो उसमें अस्थायी प्रबन्ध कर प्रवेश व निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था की जाए।
12. यदि एक ही वार्ड में 1100 से अधिक मतदाता हैं तो उस वार्ड के लिए सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के विषय में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि, मूल मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थित हो। सहायक मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र/परिक्षेत्र को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि, मतदान केन्द्र विशेष की मतदाता सूची के अनुसार आधे-आधे मतदाता जिसमें कि, पूरा क्षेत्र/परिक्षेत्र सम्मिलित है, विभाजित कर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए।
 13. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम भी मतदाता सूचियों के साथ मुद्रित होंगे। यह भी संभव है कि, मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात भी आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों में कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड़ की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्थिति भी हो सकती है कि, मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम का कॉलम प्रारूप मतदाता सूचियों में खाली छोड़ा हुआ हो, तो भी आप मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम, रबड़ की मोहर का प्रयोग कर, अंकित कर सकते हैं।
 14. चयनित मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि, मतदान केन्द्र भवन की इमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं है ? उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प है अथवा अस्थाई रैम्प की व्यवस्था करनी होगी। मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित है अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई है तथा मतदान बूथ के भवन में प्रकाश व रोशनी समुचित हो, और प्रवेश व निकास की पृथक-पृथक व्यवस्था है अथवा नहीं ? इस हेतु आयोग द्वारा प्रपत्र-1 तैयार कर पत्र के साथ संलग्न है, संलग्न प्रपत्र में सूचना भरकर आयोग को ई-मेल से प्रेषित करावें।

मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जावे तथा पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्रों की सूचना संलग्न सांख्यिकी स्टेटमेंट नं. 2 में आयोग को शीघ्र ई-मेल के माध्यम से भिजवाई जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

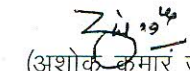

(सत्यप्रकाश बसवाली)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

22/10/14

क्रमांक: एफ.7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/ 5002-07
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

जयपुर, दिनांक: 27/10/14

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा को, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा शाखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग

प्रपत्र-1

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम

पंचायत समिति का नाम का नाम

ग्राम पंचायत का नाम

वार्ड संख्या (जिसके लिए मतदान केन्द्र खोला गया है)

पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक

जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक

क. सं.	मतदान केन्द्र का स्थान	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्टियां (सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ प्राइवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित तो नहीं है उल्लेख करें	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं। यदि हां तो संख्या लिखें	मतदान केन्द्र तक पहुँचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुँचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं												टिप्पणी
पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजों	स्त्री /पुरुष मतदाता हेतु पृथक-पृथक लार्निन हेतु स्थान उपलब्ध हैं या नहीं	क्या भवन के चारो ओर चार दीवारी हैं	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं	क्या सिलिंग फैन लगा हुआ एवं चालू स्थिति में हैं	खिड़किया / दरवाजों टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं	क्या स्थार्ई सैम्प हैं अथवा नहीं	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

